

# कार्यालय प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झॉंसी।

संख्या 3613/संविदा चिकि/विज्ञप्ति-5/2020-21.

दिनांक 15 जुलाई 2020


- विज्ञप्ति -

महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, झॉंसी में राष्ट्रीय आपदा कोविड-19 के दृष्टिगत चिकित्सा शिक्षकों की कमी को पूरा करने हेतु निम्न रिक्त पदों पर संविदा तैनाती हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 10 अगस्त 2020 तक पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रधानाचार्य कार्यालय, मेडिकल कालेज, झॉंसी में आमंत्रित किये जाते हैं।

क्रम	विशिष्टता का नाम	आचार्य				सह आचार्य				सहायक आचार्य			
		UR	OBC	SC	EWS	UR	OBC	SC	EWS	UR	OBC	SC	EWS
1	आर्थोपैडिक्स			1									
2	ऑपथैल्मोलॉजी		1										
3	ऑब्स्टेट्रिक्स एण्ड गायनीकोलॉजी					2	1						
4	एनाटॉमी	1						1					
5	एनेस्थीसियोलॉजी			1T		1	1						
6	ओटो-राईनो-लैरिंगोलॉजी												
7	कम्युनिटी मेडिसिन		1				1			1	1		
8	कार्डियोलॉजी	1						1	1			1	
9	जनरल मेडिसिन						1				2		
10	जनरल सर्जरी							1					
11	ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रिसपिरेटरी मेडिसिन			1									
12	डर्मटोलॉजी, वेरे0 एण्ड लेप्रोसी					1							
13	डेंटिस्ट्री						1						
14	न्यूरोलॉजी		1							1			
15	न्यूरोसर्जरी	1		1T									
16	नेफ्रोलॉजी								1			1	
17	प्लास्टिक सर्जरी								1				
18	पीडियाट्रिक्स	1					1						
19	पैथोलॉजी												
20	फार्माकोलॉजी								1				
21	फिजियोलॉजी		1								1	1	
22	फोरेंसिक मेडिसिन	1				1							
23	बायोकेमिस्ट्री		1										
24	माइक्रोबायोलॉजी					1		1					
25	युरोलॉजी											1	
26	रेडियोलॉजी												
27	रेडियोथेरेपी										1#		1
28	साइकियेट्री								1			1	

# Medical physicist, T= Trauma Center.


- साक्षात्कार दिनांक 18, अगस्त 2020 को समय 12:00 बजे से 02:00 बजे के मध्य होंगे।
- नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
- शासनादेश संख्या 104/2019/5044/71-1-18-जी-63/2018, दिनांक 21-11-2019 के अनुसार संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को नियत वेतन देय होगा। इस सम्बन्ध में निर्धारित शर्तें शासन द्वारा समय समय पर पूर्व में निर्गत भिन्न-भिन्न शासनादेशानुसार होगी।
- आवेदक को Medical Council of India, Minimum Qualification for teachers in Medical Institution Regulation 1998 द्वारा एवं समय-समय पर किये गये संशोधनों के अन्तर्गत निर्धारित शैक्षिक अर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना अनिवार्य है।
- आयु सीमा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा निर्धारित शर्तें मान्य होंगी।
- चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2005 में निहित प्रावधानों के अनुसार होगी। संविदा चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिये हकदार नहीं होंगे।
- पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है, जिसकी सूचना कोलज की वेब साइट पर अपलोड कर दी जायेगी एवं तदनुसार आरक्षण व्यवस्था लागू होगी। साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा। सभी प्रकार का अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार उत्तर प्रदेश शासन को होगा।
- शासनादेश संख्या 6/2019/4/1/2002/का-2/19टी0सी0-1 दिनांक 23-10-2019 के अनुसार सम्बन्धित विशिष्टता में अनारक्षित कॉलम में दर्शाये गये ई0डब्ल्यू0एस0 के पदों पर अर्थिक रूप से कमजोर (ई0डब्ल्यू0एस0) वर्ग का अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में उक्त पदों को अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा।
- आवेदकों को स्पष्ट सूचित किया जाता है, कि प्रार्थना पत्र के साथ आवश्यक रूप से हाई स्कूल अंक तालिका, एम0बी0बी0एस0 अंक तालिकायें, एडीशनल क्वालिफिकेशन का रजिस्ट्रेशन, पी0जी0 के प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, पब्लिकेशन, एवं अन्य तत्सम्बन्धी स्वप्रमाणित प्रपत्र अवश्य संलग्न करें। अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे। साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थियों की सूची नोटिस बोर्ड पर घस्था कर दी जायेगी। आरक्षण सम्बन्धी 100 बिन्दुओं का रोस्टर/शासनादेश संख्या 5/2019/4/1/2002/का-2/2019टी0सी0-1, दिनांक 13-08-2019 का अनुपालन मान्य होगा।

  
प्रधानाचार्य,  
मेडिकल कालेज झॉंसी।

संख्या : /संविदा चिकि/विज्ञप्ति-5/2020-21, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, छटवीं तल, उ0प्र0 लखनऊ।
- प्रमारी अधिकारी-वेब साइट, मेडिकल कालेज, झॉंसी को इस आदेश के साथ कि कालेज की वेब साइट पर सूचना अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
- संयोजक, साक्षात्कार समिति, मेडिकल कालेज, झॉंसी।

  
प्रधानाचार्य,  
मेडिकल कालेज झॉंसी।